छ.ग. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) मुख्यालय

इंदिरा गॉधी व्यावसायिक परिसर पण्डरी रायपुर

मुख्या0 / सामा0 प्रशासन / वाहन विज्ञप्ति कमांक 3707 .... दिनांक 10.11.2017

''वाहन किराए में लेने हेतु अल्पावधि निविदा आमंत्रण सूचना''

धान खरीदी विपणन वर्ष 2017–18 हेतु छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा प्रदेश के धान उपार्जन केन्द्रों का परिवेक्षण एवं निरीक्षण कार्य के लिए निम्नांकित वाहन दैनिक किराए के आधार पर लिया जाना है। जिसके लिए स्थानीय पंजीकृत ट्रेव्लस एजेंसियो से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रं.	वाहन का नाम	वांछित संख्या
1	स्कार्पीयो माडल 2016, डीजल, ए.सी.	1
2	टाटा सूमो माडल 2016, डीजल, ए.सी.	1
3	इंडिगो माडल 2016, डीजल, ए.सी.	1

उक्त हेतु निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रकाशन तिथि से कार्यालयीन दिवस एवं समयावधि में दिनांक 21.11.2017 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक मुंहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि तक जमा मुहरबंद निविदाओं को दिनांक 21.11.2017 समय अपरान्ह 4.00 बजे अपेक्स बैंक मुख्यालय स्तर पर गठित निविदा कमेटी के द्वारा खोला जावेगा। निविदा फार्म का मूल्य 500/– रू निर्धारित है जो कि बैंक मुख्यालय द्वितीय तल प्रशासन कक्ष से निविदा प्रकाशन तिथि से कार्यालयीन दिवस में दिनांक 20.11.2017 तक नगद राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाओं को मान्य / अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा कमेटी एवं बैंक प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा नियम एवं शर्तो का अवलोकन बैंक की वेबसाईट – www.cgapexbank.com पर किया जा सकता है।

10.11.17

(प्रबंध संचालक)

Scanned by CamScanner

अ

निविदा फार्म क्रमांक ....

फार्म का मूल्य राशि रूपये 500/–

छ.ग. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) मुख्यालय

इंदिरा गॉधी व्यावसायिक परिसर पण्डरी रायपुर

परिशिष्ट – (अ)

–: वाहन किराए में लेने हेतु निविदा नियम एवं शर्ते :–

धान खरीदी विपणन वर्ष 2017–18 हेतु छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा प्रदेश के धान उपार्जन केन्द्रों का परिवेक्षण एवं निरीक्षण कार्य के लिए वाहन किराए पर लिया जाना है। जिसके लिए स्थानीय पंजीकृत ट्रेव्लस एजेंसियो से दैनिक दर पर वाहन किराए से लिये जाने हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रं.	वाहन का नाम	वांछित संख्या
1	स्कार्पियो माडल 2016, डीजल, ए.सी.	1
2	टाटा सूमो माडल 2016, डीजल, ए.सी.	1
3	इंडिगो माडल 2016, डीजल, ए.सी.	1

निविदा फार्म विकय की तिथि :– निविदा प्रकाशन तिथि से दिनांक 20.11.2017 तक कार्यालयीन दिवस में।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :– दिनाक 21.11.2017 समय 2.00 बजे तक।

मुंहरबंद जमा निविदा खोलने की तिथि :– दिनांक 21.11.2017 समय 4.00 बजे।

निविदा खोलने का स्थान :– अपेक्स बैंक, मुख्यालय, तृतीय तल, सभाकक्ष, रायपुर।

नियम व शर्ते निम्नानुसार है –

1. निविदाकर्ता को दैनिक आधार पर वाहन किराए निविदा में अंकित करना होगा। डीजल बैंक द्वारा वहन किया जावेगा। वाहन का माइलेज (एवरेज) स्कार्पियो व टाटा सूमो के लिए प्रति लीटर कम से कम 10 किमी और इंडिगो के लिए प्रति लीटर 12 किमी होना अनिवार्य होगा।
2. वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक के अवकाश या अस्वस्थ्य होने पर निविदाकर्ता को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन/भत्ता आदि) संबंधित ट्रेव्लस एजेंसी द्वारा देय होगा।
3. छ0ग0शासन की धान उपार्जन के महत्वपूर्ण कार्य में प्रदेश स्तर पर निरीक्षण किया जावेगा, जिसमें किराये के वाहन संलग्न होगा। अतएव कार्यालयीन दिवस के अलावा अवकाश के दिन में भी वाहन की ड्यूटी लगायी जा सकती है।

Scanned by CamScanner

4. वाहन टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग के नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियामानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स, बीमा, सेवा एवं अन्य सभी प्रकार से शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा अद्यतन होना चाहिए। वाहन का परिमिट फिटनेश, रोड टैक्स वा बीमा अद्यतन होना चाहिए।
5. निविदा में फाईनेंसियल बीट – ब (भाव प्रपत्र) एवं टेक्निकल बीट – स के लिए पृथक–पृथक लिफाफा प्रयुक्त करेंगें। निविदा कमेटी द्वारा पहले टेक्निकल बीट खोली जायेगी तत्पश्चात परिक्षण उपरांत फाईनेंसियल बीट खोली जायेगी।
6. वाहन की मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख–रखाव आदि की स्थिति में एजेंसी द्वारा तत्काल दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
7. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी की होगी।
8. किराए पर लिए गए वाहन 1 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए तथा अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ऐसा नही होने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।
9. वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा।
10. वाहन देयक से नियमानुसार आयकर की कटौती पर भुगतान किया जावेगा तथा वाहन मालिक अन्य टैक्स सेवा शुल्क आदि के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. संबंधित एजेसी का पैन कार्ड की स्व–सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
12. निर्धारित दर अगामी 1 वर्ष के लिए प्रभावशील होंगे ।
13. निविदाओं को मान्य / अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अपेक्स बैंक निविदा कमेटी एवं प्रबंधन को होगा।

प्रबंध संचालक

Scanned by CamScanner